AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

जनजातीय क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 का सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव – एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (सरगुजा जिले के विशेष संदर्भ में)

ORIGINAL ARTICLE

Authors

डॉ. मुकुल रंजन गोयल
शोध निदेशक
प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्ना. महाविद्यालय
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़, भारत

भौठाराम भगत
शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग
संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय
सरगुजा, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

सामाजिक शोध का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और मानव–समाज व जीवन का शायद ही कोई पक्ष ऐसा हो जो कि इसके क्षेत्र के अन्तर्गत न आता हो। वास्तविकता तो यह है कि सामाजिक शोध के क्षेत्र की कोई सीमा–रेखा निश्चित व अन्तिम रूप में खींचना न तो सम्भव है और न ही व्यावहारिक। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, जिसे मनरेगा भी कहा जाता है, विश्व में अग्रणी अधिकार विधानों में से एक है। यह विश्व का सबसे वृहत् मजदूरी कार्यक्रम है। अकुशल शारीरिक श्रम तथा न्यूनतम मजदूरी पर आधारित प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का काम देने की वैधानिक गारंटी ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया था। ग्रामीण बेरोजगारी, भूख एवं गरीबी से निजात पाने के लिये 2 फरवरी 2006 को महत्वाकांक्षी योजना 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा)' का शुभारंभ आंध्रप्रदेश के अनंतपुरम जिले से किया गया। पहले चरण में वर्ष 2006–07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुनिंदा जिलों में इस योजना का कार्यान्वयन किया गया था। 1 अप्रैल 2007 से दूसरे चरण में अन्य 130 जिलों तक इसका विस्तार किया गया था। नरेगा को तीसरे चरण में 1 अप्रैल, 2008 से सभी बचे हुये 274 ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया। इस प्रकार महात्मा गांधी नरेगा के तहत शत–प्रतिशत शहरी जनसंख्या वाले जिलों को छोड़कर पूरे देश के सभी 659 ग्रामीण जिले को शामिल कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) का नाम ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)'' कर दिया गया। प्रस्तुत अध्ययन में सीतापुर एवं बतौली विकासखण्ड को आधार बनाया गया है और इस प्रकार इन विकासखण्ड़ों के 10 ग्राम पंचायतों से कुल 200 उत्तरदाताओं का चयन कर सर्वेक्षण कार्य निष्पादित किया गया है। नरेगा की सफलता का एक और आयाम यह है कि यह ग्रामीण विकास का इंजन बनकर सामने आ रहा है। इसकी बदौलत गाँवों में विकास कार्य तथा स्थायी परि–सम्पत्तियों के निर्माण को नई गति मिल रही है। यह कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसे चलाने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका के चलते ग्रामीण प्रशासन का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और इस तरह लोकतंत्र तथा पारदर्शिता की जड़ें मजबूत हो रही हैं।

मुख्य शब्द

मनरेगा, बेरोजगारी, जनजाति, सामाजिक परिवर्तन.

भूमिका

सामाजिक शोध का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और मानव–समाज व जीवन का शायद ही कोई पक्ष ऐसा हो जो कि इसके क्षेत्र के अन्तर्गत न आता हो। वास्तविकता तो यह है कि सामाजिक शोध के क्षेत्र की कोई सीमा–रेखा निश्चित व अन्तिम रूप में खींचना न तो सम्भव है और न ही व्यवहारिक।

सिद्धान्त तथा पद्धतियों में नवीन सामाजिक नियमों की खोज, पुराने सिद्धान्त तथा विधियों की पुनःपरीक्षा, सामाजिक जीवन में अन्तर्निहित सामान्य नियम व प्रक्रियाएँ तथा नवीन पद्धतियों व प्रविधियां की खोज आदि सामाजिक शोध के प्रमुख आयाम रहे हैं।

19 वीं सदी के प्रारंभ में ग्रेट ब्रिटेन में रोजगार गारंटी योजना से संबंधित नीतियों के अंतर्गत 'पुअर इम्प्लॉयमेंट एक्ट' (1817) और 'पूअर लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट' (1834) तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में 'न्यू डील प्रोग्राम' (1930) में लाया गया। इन कार्यक्रमों के अध्ययन में पाया गया कि प्राकृतिक संकट एवं आर्थिक मंदी के समय इनका प्रयोग महत्वपूर्ण सहायता नीतियों के रूप में किया गया और विकासशील दोनों देशों द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को बहुउद्देशीय योजनाओं, जैसे – रोजगार सृजन, गरीबी निवारण, सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण, क्रयशक्ति में वृद्धि, समावेशी एवं संपोषी विकास आदि के रूप में अपनाया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, जिसे मनरेगा भी कहा जाता है, विश्व में अग्रणी अधिकार विधानों में से एक है। यह विश्व का सबसे वृहत् मजदूरी कार्यक्रम है। अकुशल शारीरिक श्रम तथा न्यूनतम मजदूरी पर आधारित प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का काम देने की वैधानिक गारंटी ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया था। ग्रामीण बेरोजगारी, भूख एवं गरीबी से निजात पाने के लिये 2 फरवरी 2006 को महत्वाकांक्षी योजना 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा)' का शुभारंभ आंध्रप्रदेश के अनंतपुरम जिले से किया गया। पहले चरण में वर्ष 2006–07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुनिंदा जिलों में इस योजना का कार्यान्वयन किया गया था। 1 अप्रैल 2007 से दूसरे चरण में अन्य 130 जिलों तक इसका विस्तार किया गया था।

आंरभिक लक्ष्यों के अनुसार नरेगा को पॉच वर्षो की अवधि में पूरे देश में लागू करना था, परन्तु संपूर्ण देश में रोजगार सुरक्षा का जाल फैलाने के लिये तथा इसकी मॉग को ध्यान में रखते हुये नरेगा को तीसरे चरण में 1 अप्रैल, 2008 से सभी बचे हुये 274 ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया। इस प्रकार महात्मा गांधी नरेगा के तहत शत–प्रतिशत शहरी जनसंख्या वाले जिलों को छोड़कर पूरे देश के सभी 659 ग्रामीण जिले को शामिल कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) का नाम ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)'' कर दिया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा पहला कानून है जो अभूतपूर्व संख्या में लोगों को वेतन के साथ रोजगार की गारण्टी देता है। यह गाँवों के गरीब लोगों के जीवन का कायाकल्प करने वाला क्रान्तिकारी कदम है जो समावेशी विकास को भी बढ़ावा देता है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली अब तक संचालित की गई किसी भी योजना की तुलना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना कई प्रकार से एक अनोखी एवं विशिष्ट प्रकार की योजना है।

विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रयास कार्यक्रम को लागू करने से अनुसंधानकर्त्ताओं तथा विद्वानों की रूचि मनरेगा में उत्पन्न हुई है। इसमें वाद–विवाद, विचार–विमर्श और अनुसंधान महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हैं। मनरेगा के

परिणामस्वरूप ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में क्या सामाजिक परिवर्तन हुये हैं, इसका एक विस्तृत विश्लेषण भी प्रस्तुत शोध अध्ययन का एक भाग है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के द्वारा शोधकर्ता का यह प्रयास है कि ग्रामीण एवं जनजातीय वर्ग भारत सरकार की इस बहुआयामी योजना से जुड़कर अपनी निर्धनता, बेरोजगारी एवं पलायन जैसी समस्याओं का स्थायी निराकरण हासिल कर सकें।

शोध कार्य का उद्देश्य

1. मनरेगा के संगठनात्मक स्वरुप, कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करना।
2. मनरेगा से जनजातीय परिवारों के सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
3. जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा से ग्रामीण परिवारों की जीविका, उपभोग स्तर, ऋृण–ग्रस्तता, आय एवं रोजगार में हुये परिवर्तन का अध्ययन करना।

शोध कार्य की परिकल्पनाएँ

1. मनरेगा से जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है।
2. मनरेगा से जनजातीय क्षेत्रों में आर्थिक सुधार हुआ है और जीवन स्तर ऊँचा उठा है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सामाजिक आर्थिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की आधारशिला मानी जाने वाली निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह शोध अध्ययन तीन चरणों में पूर्ण किया गया है। प्रथम चरण में प्राथमिक समंको का संग्रहण श्रमिक, जॉबकार्डधारियों एवं उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष रुप से निर्धारित प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से किया गया है। कार्य दशाओं के अध्ययन हेतु अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक समंको के संकलन में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, केन्द्रीय सरकार, छत्तसगढ़ शासन, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मनरेगा अधिनियम, तथा अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं, रिपोर्टों, वार्षिक प्रतिवेदनों एवं आंकड़ो आदि का उपयोग किया गया है। तृतीय चरण में मनरेगा से संबंधित समंको का वर्गीकरण एवं सारणीयन करते हुए प्रमाणित सांख्यिकी विधियों एवं अन्य आवश्यक उपसाधनों का प्रयोग करते हुए सम्पादन कार्य पूर्ण किया गया है।

इकाई का चुनाव

सरगुजा जिले में 7 विकासखण्ड़ अम्बिकापुर, लखनपुर, मैनपाट, सीतापुर, उदयपुर, लुण्ड्रा एवं बतौली हैं। प्रस्तुत लघु अध्ययन में सीतापुर एवं बतौली विकासखण्ड को आधार बनाया गया है, जो कि समग्र का 30 प्रतिशत और प्रतिनिधित्वपूर्ण है।

उत्तरदाताओं का चयन

पंचायत विभाग से सीतापुर विकासखण्ड के पाँच ग्राम पंचायत, यथा – मानपुर, घोघरा, मंगारी, सुआरपारा एवं बेलकोटा तथा बतौली विकासखण्ड़ के पाँच ग्राम पंचायत, यथा – हर्राटिकरा, राधापुर, आमाटोली, सूर एवं चलता के जॉबकार्ड धारकों की सूची प्राप्त कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में से न्यादर्श विधि से 20–20 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस प्रकार 02 विकासखण्ड़ों के 10 ग्राम पंचायतों से कुल 200 उत्तरदाताओं का चयन कर सर्वेक्षण कार्य निष्पादित किया गया है।

सीतापुर विकासखण्ड की कुल जनसंख्या 96,131 है, जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5,258 (5.47 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 68,001 (70.74 प्रतिशत) है। अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से यह सरगुजा जिले का तीसरा सबसे बड़ा विकासखण्ड है।

बतौली विकासखण्ड़ अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से सरगुजा जिले का सबसे बड़ा विकासखण्ड है। बतौली विकासखण्ड की कुल जनसंख्या 70,244 है, जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2,013 (2.87 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 54,558 (77.67 प्रतिशत) है।

जनजातियां

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 की धारा 20 में जनजाति संबंधित सूची का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सूची मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 में है। राज्य़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पायी जाती हैं जो कि 161 उपसमूहों में विभाजित है।

सरगुजा जिला विभिन्न जनजातियों का प्राकृतिक आवास है। यहां की प्रमुख जनजातियों में गोंड़, उरांव, कंवर, नगेसिया, बैगा, खैरवार, मॉझी, अगरिया, खुड़िया, सौंता, पहाड़ी कोरवा आदि है। सरगुजा जिले की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40,090 है जो कुल जनसंख्या का 4.77 प्रतिशत है। सरगुजा जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 4,82,007 है, जो कुल जनसंख्या का 57.36 प्रतिशत है।

सरगुजा जिले में मनरेगा की उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण

क्र.	विवरण	2022–23	2021–22	2020–21	2019–20
1.	अनुमोदित श्रम बजट (लाख रू.)	34.46	44.36	48.56	38.35
2.	कुल श्रम बजट का प्रतिशत	109.93	109.37	100.00	100.00
3.	मजदूरी (लाख रू.)	7,371.21	8,550.77	8,283.7	6,326.64
4.	सामग्री एवं कुशल श्रमिक (लाख रू.)	1,787.26	2,453.78	1,795.21	2,114.45
5.	सामग्री (प्रतिशत)	19.51	22.30	17.81	25.05
6.	कुल प्रशासनिक व्यय (लाख रू.)	684.18	513.49	551.18	664.38

(Source: https://nreganarep.nic.in/netnrega/citizen_html/demregister.aspx? lflag=eng&page= D&state_name=CHHATTISGARH&state_code=33&district_name=SURGUJA)

निष्कर्ष

लिंगानुसार विवरणः सीतापुर विकासखण्ड के कुल 100 उत्तरदाताओं में 56 प्रतिशत पुरुष एवं 44 प्रतिशत महिलाएँ हैं। बतौली विकासखण्ड के कुल 100 उत्तरदाताओं में 64 प्रतिशत पुरुष एवं 36 प्रतिशत महिलाऍ हैं।

मनरेगा अधिनियम की जानकारीः सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में 96 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा अधिनियम की जानकारी होने एवं 4.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा अधिनियम के संबंध में जानकारी नही होने का अभिमत दिया है।

रोजगार पात्रता की जानकारीः मनरेगा अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार प्रत्येक वित्त वर्ष में 150 दिन का रोजगार प्राप्त करने का पात्र है। सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने रोजगार पात्रता की जानकारी होने एवं 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने रोजगार पात्रता की जानकारी नही होने की जानकारी प्रदान की है।

बेरोजगारी भत्ते की जानकारीः मनरेगा अधिनियम के तहत आवेदन किये जाने के 15 दिवस के अंदर रोजगार नही दिये जाने पर निर्धारित मजदूरी का 50 प्रतिशत बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में बेरोजगारी भत्ते की जानकारी होने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 61 प्रतिशत एवं बेरोजगारी भत्ते की जानकारी न होने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 39 प्रतिशत है।

मनरेगा की कमियों के संबंध में: मनरेगा अधिनियम की कमियों के संबंध में चार बिन्दुओं पर उत्तरदाताओं से उनका अभिमत लिया गया। ये चार बिन्दु पारिश्रमिक, कार्यदिवस, प्रशिक्षण एवं कार्यस्थल पर भोजन दिये जाने से संबंधित रहे। सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में 89.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पिरश्रमिक कम होने, 89 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कार्यदिवस कम होने, 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रशिक्षण नही दिये जाने एवं 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कार्यस्थल पर भोजन नही दिये जाने की जानकारी प्रदान की है।

आर्थिक स्थिति में सुधारः सीतापुर विकासखण्ड़ में 29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा योजना से आर्थिक स्थिति में सुधार होने तथा 71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आर्थिक स्थिति में सुधार नही होने की बात स्वीकार की। इसी प्रकार बतौली विकासखण्ड़ में 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा योजना से आर्थिक स्थिति में सुधार होने तथा 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आर्थिक स्थिति में सुधार नही होने की बात स्वीकार की।

जीवन स्तर में सुधारः प्रस्तुत शोध में यह जानने का प्रयास किया गया है कि मनरेगा योजना में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति के लाभार्थियों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में क्या कोई सुधार हुआ है या नही। मनरेगा योजना से उनके जीवन स्तर में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन देखने को आया है। सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि 19.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के जीवन स्तर में तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में गुणात्मक सुधार हुआ है, जबकि 80.5 प्रतिशत उत्तरदाता का अभिमत है कि मनरेगा से उनके जीवन में काई उल्लेखनीय सुधार नही हुआ है। 90.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि मनरेगा का उनके सामाजिक स्तर पर प्रभाव पड़ा है जबकि 9.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि मनरेगा का उनके सामाजिक स्तर पर प्रभाव नही पड़ा है।

मनरेगा का प्रभाव

महात्मा गाँधी नरेगा द्वारा सृजित रोजगार के अवसरों ने असंगठित क्षेत्रों की मजदूरी पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। असंगठित क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ी है। असंगठित क्षेत्रों में लिंग के आधार पर मजदूरी भुगतान में होने वाले भेदभाव में कमी देखनें को मिली है। सामाजित स्तर पर (सम्मान, प्रतिष्ठा) प्रभाव देखने को मिला है।

- ग्रामीण गरीब के लिए मनरेगा जीवन रेखा है। मनरेगा ने ग्रामीण गरीब, आकस्मिक श्रमिक एवं वंचित वर्गों के लिए सुअवसर प्रदान किया है। उनकी परेशानियों को कम किया है।
- मनरेगा के क्रियान्वयन के पश्चात दूसरे जिले की ओर पलायन में कमी हुई है हालांकि पलायन पूर्णतया बंद नहीं हुआ है। दूसरे राज्य में प्रवास में तीव्र गिरावट आई है।
- मनरेगा से विस्तृत पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है। मनरेगा मजदूरों को स्थिर आय का स्रोत प्रदान करता है। मनरेगा में 100 दिन के रोजगार से आय का ग्राफ निरन्तर बढ़ा है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का एकप्रप्रमुख उद्देश्य गरीब, संवेदनशील और हाशिए के लोगों को आय और आजीविका सुरक्षा का एक स्थायी स्रोत उपलब्ध कराना है। अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों से इस बात की पुष्टि होती है कि मनरेगा कार्यक्रम से लाभार्थियों के परिवारों की आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया है कि उनके परिवार की आय में वृद्धि हुई है।
- साक्षात्कार के दौरान अधिकांश लोगों ने यह स्वीकार किया कि मनरेगा कार्यक्रम की वजह से उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है और जीवनस्तर में कुछ सुधार हुआ है। जहाँ एक ओर उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, वहीं राजनीतिक सहभागिता में भी वृद्धि हुई है।
- मनरेगा कार्यक्रम सबसे प्रमुख परिणाम महिलाओं की स्थिति में दिखाई दे रहा है। ग्रामीण महिलाएं इस कार्यक्रम से काफी सशक्त हुई है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण जो महिलाएँ अपने पतियों को साथ शहर नहीं जा पाती थी उसके लिए भी गांव में ही कार्य उपलब्ध हो गया है। संयुक्त परिवारों को टूटने, विधवा होने परित्यक्ता होने पर महिलाएं भी कार्य की तलाश में मनरेगा से जुडकर अपना जीवनयापन कर रही हैं।

मनरेगा की सफलता का एक और आयाम यह है कि यह ग्रामीण विकास का इंजन बनकर सामने आ रहा है। इसकी बदौलत गाँवों में विकास कार्य तथा स्थायी परि–सम्पत्तियों के निर्माण को नई गति मिल रही है। यह कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसे चलाने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका के चलते ग्रामीण प्रशासन का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और इस तरह लोकतंत्र तथा पारदर्शिता की जड़ें मजबूत हो रही हैं।

संदर्भ सूची

1. Digantra, Mukherjee & Sinha, Uday Bhanu, 2011, Understanding NREGA : A simple theory and some facts, Centre for Development Economids, New Delhi, Working Paper, p. 96.
2. वार्षिक प्रतिवेदन, 2021–22, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 57।
3. लवानियॉ, एम. एम. (2022) *छत्तीसगढ़ की जनजातियॉ,* द्वितीय संस्करण, विशाल कौशिक प्रिटर्स, दिल्ली, पृ. 6।
4. हसनैन नदीम (2013) *जनजातीय भारत,* आठवॉ संस्करण, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृ. 25।
5. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, दिशा निर्देश 2006, दूसरा संस्करण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 3।
6. सिसोदिया, एम. एस. एवं सिंह, आर. के. (2014) *छत्तीसगढ़, जिला दर्शन एवं सामान्य ज्ञान,* उपकार प्रकाशन, आगरा, पृ. 62।
7. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, 2021–22, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय, अम्बिकापुर, छ. ग., पृ. 1।
8. https://nregastrep.nic.in/netnrega/homestciti.aspx?state_code=33&state_name=CHHATTISGARH&lflag=eng&labels=labels, Assess on 12/04/2024
9. www. surguja.gov.in/जनसांख्यिकी/, Assess on 08/04/2024

––==00==––